चित्रकूट-पुलिस

(1). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मारकुण्डी में पंजीकृत मु0अ0सं0 36/2018 धारा 452,376,506 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त बुल्ली उर्फ ओमदत्त यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी डोडामाफी थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 12 वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 19.09.2018 को वादी द्वारा थाना मारकुण्डी में सूचना दी थी कि अभियुक्त बुल्ली उर्फ ओमदत्त यादव उपरोक्त ने घर में घुसकर उनकी नाबालिक पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस सूचना पर थाना मारकुण्डी में मु0अ0सं0 36/2018 धारा 452,376,506 भादवि0 व 06 पॉक्सो एक्ट बनाम बुल्ली उर्फ ओमदत्त यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री रामेन्द्र तिवारी द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा अभियुक्त को दिनाँक 20.09.2018 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध दिनाँक 27.11.2018 को माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे

वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). आज दिनाँक 30.05.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में लोकसभा चुनाव -2024 के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में महिला थाना की पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगडे को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती आराधना देवी पुत्री रमाशंकर निवासी रैपुरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति राकेश पुत्र सरिजपाल अग्रहरी निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट के विरुद्ध मारपीट गाली-गलौज के सम्बन्ध में महिला थाना में प्रार्थना पत्र दिया गया। थानाध्यक्ष महिला थाना तथा उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाना पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती सविता सरोज
2.महिला आरक्षी शिल्पा रंजन
3.महिला आरक्षी दीपिका सिंह

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष रैपुरा द्वारा भोली भाँली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाली अभियुक्त 1.दिनकपुर पुत्र श्यामसुन्दर उर्फ चुन्ना ग्राम महुलिया मजरा इटवां थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 2.अभिषेक कुमार पुत्र अजीत प्रताप सिंह उर्फ राजाबाबू निवासी ग्राम बसिंघा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 3. प्रेमराज यादव पुत्र अयोध्या निवासी अहिरनपुरवा मजरा लौरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 4. गुलाब चन्द्र यादव पुत्र शिववंश निवासी अहिरनपुरवा मजरा लौरी जनपद चित्रकूट 5. राजबली पुत्र रामहित निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 6. शंकर दयाल यादव पुत्र रामहित निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 7. शिवदास पुत्र नत्थू द्विवेदी निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 8. सालिगराम पुत्र नत्थू द्विवेदी निवासी रामनगर थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।